

कार्यालय
(झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रॉची)
पत्रांक**97/21**.....

प्रेषक,

जिला कार्यालय पदाधिकारी,
प्रा.शि. सर्व शिक्षा अभियान, रॉची,
झारखण्ड।

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
CHIRANJEEVEE CONCEPT SCHOOL,
Hochar,Kanke,Ranchi,
Jharkhand-834006

दिनांक **26-11-21**

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 परियोजनाथे एवं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उप नियम 05 के अंतर्गत विद्यालय की प्रा. स्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय/महशया,

आपके आवेदन पत्र सं. CCS/13/20 दिनांक 14.09.2020 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय CHIRANJEEVEE CONCEPT SCHOOL, Hochar, Kanke, Ranchi, Jharkhand-834006 (विद्यालय का नाम एवं पुरा पता) प्रथम कक्षा से अष्टम् कक्षा तक जिसके संचालन हेतु गत वर्षों 2020 से 2023 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती हैं। प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधिन होगी।

1. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 की धारा मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। स्वाधोषणा पत्र के आधार पर अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं विवरण निम्नवत है :—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:	2.16 एकड़ (8781.67 Sq. M)
कुल निर्मित क्षेत्र	:	1550 Sq. M
खेल के मैदान का क्षेत्र	:	5500 Sq. M
वर्ग कक्षों की कुल संख्या	:	21
प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भण्डार कक्ष :	हाँ	
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय :	हाँ	
पेयजल की सुविधा	:	हाँ
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	:	हाँ
बाधा रहित पहुँच	:	हाँ
शिक्षण अधिनियम समाग्री	:	हाँ
खेल—कुद उपकरण :	हाँ	पुस्तकालय

2. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

3. विद्यालयों के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो मान और मानक निर्धारित है उन्हें 03 (तीन) वर्षों के अंदर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी। अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय के लिए मान और मानक निम्नवत है :—

क्र.	मद	मान और मानक	
	शिक्षकों की संख्या		
		प्रवेश किये गये चालक	शिक्षकों की संख्या
		60 तक	2 (दो)
		61–90 के मध्य	3 (तीन)
		91–120 के मध्य	4 (चार)
		121–200 के मध्य	5 (पाँच)
		150 बालकों के उपर	कक्षा एक से उपर एक अध्यापक
1	(क) पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए	250 बालकों के उपर 1 कम से कम प्रति कक्षा एवं शिक्षक कइ प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो i. विज्ञान और गणित ii. सामाजिक अध्ययन iii. भाषा	
2	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक 3. जहां 100 उपर बालकों प्रवेश दिया गया है वहां :— i. पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक ii. अंशकालिक शिक्षक के लिए अ. कला शिक्षा आ. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक ई. कार्य शिक्षा	
3	भवन	सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह—मण्डल—सह—प्रधानाध्यापक कक्ष 2. बाधा मुक्त पहुँच। 3. लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग—अलग शौचालय 4. सभी बालकों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त पेयजल 5. रसोई घर दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाय 6. सीमा विकाल या बॉण्ड्री द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं 7. खेल का मैदान	
4	एक शैक्षणिक वर्ग में कार्य दिवसों/शिक्षण कार्यों की न्यूनतम संख्या	1. पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए शैक्षणिक दिवस 2. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति 220 कार्य दिवस 3. पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे 4. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे	
5	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की	45 (शिक्षण तैयारी के घण्टे सम्मिलिति किये जाय)	

न्यूनतम संख्या		
6	अध्यापन शिक्षण उपस्वार	प्रत्येक कक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपलब्ध करायें जाएंगे।
7	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें एक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होगी।
8	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यदा अपेक्षित उपलब्ध कराये जायें।

अनुलग्न :— यथोक्तपरि।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राजिला कार्यालय पदाधिकारी
प्रा. शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान
झारखण्ड।